क्रम संख्या–72

अर्ध शा० प० संख्याः 382/ पीएसएमएस-97

ब्रजेन्द्र सहाय।
मुख्य सचिव।

प्रशासनिक सुधार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांक लखनऊ 17 अप्रैल, 1997

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रशासन को प्रभावी एवं संवेदनशील और जनता की अपेक्षा के अनुरूप बनाया जाना नयी लोकप्रिय सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता एवं प्रतिबद्धता है। सरकार की अपेक्षा है कि प्रशासन भ्रष्टाचार रहित, जनता के प्रति समर्पित हो तथा विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों का हितैषी हो। जनसामान्य को इसकी अनुभूति व्यवस्था में परिवर्तन से ही हो सकती है जिसके लिये शीर्षस्थ अधिकारियों और उनकी कार्य संस्कृति दोनों का ही सही होना आवश्यक है।

नयी कार्यशैली (NEW WORK CULTURE) के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है।

1—हमें किसी भी क्षण यह नहीं भूलना चाहिये कि शीर्षस्थ अधिकारी अपने पद के न्यासी होते हैं न कि जागीरदार। अतः अपने विवेक का प्रयोग सर्वदा व्यापक जनहित में बिना पक्षपात, लालच या भय के करना हमारा संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है।

2—व्यवस्था में सुधार के लिए गुण दोष पर ही कार्य करने की परम्परा फिर से कायम करनी होगी। हमारा प्रयोजन यह होना चाहिए कि सही कार्य में किसी स्तर से कोई व्यवधान न हो और वह समय पर स्वतः हो जाय।

3—निचले स्तरों पर अपेक्षित कार्य न होने के फलस्वरूप उच्चतर स्तरों पर नैत्यिक कार्य में अनावश्यक वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप उच्चतर स्तर पर से अपेक्षित कार्य नहीं हो पाता। अत : यह आवश्यक है कि जो कार्य जिस स्तर पर होना है वह वहीं हो और इसके लिये लोगों को उच्चतर स्तरों पर जाने की आवश्यकता न पड़े। अतः सभी स्तरों पर इस बात को देखा जाय कि निचले स्तर के कर्मचारी/अधिकारी की निष्क्रियता अथवा उसके गलत कार्य के कारण लोगों को अनावश्यक रूप से तो उच्चतर स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और यदि ऐसा होता है तो यह नीचे के स्तर के सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की अक्षमता का द्योतक होगा।

4—वर्तमान व्यवस्था में कमी का एक प्रमुख कारण पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्य पर समुचित नियंत्रण न होना है। अतः यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य की नियमित विस्तृत एवं गहन समीक्षा करें तथा जहां कमी हो उसे यथासमय दूर कराया जाय ताकि लोगों को अपना कार्य सही और समय से करने की आदत पड़े। इस सम्बन्ध में माननीया मुख्य मंत्री एवं मेरे द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठकों में मण्डलायुक्तों को पहले ही सम्बोधित किया जा चुका है। केवल इतना और कहना है कि कलक्ट्रेट के निरीक्षण के समय सभी तहसीलों के निरीक्षण के विवरण भी तैयार रखे जाँय ताकि उनमें से किसी एक को निरीक्षण के लिये चुना जा सके।

5—कार्य के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। सभी स्तरों पर प्रयास वास्तविक समस्या को सुलझाने का होना चाहिये न कि उसे टालने अथवा नकारने का। इसके लिये नियम एवं आदेशों के अन्तर्गत रचनात्मक एवं सहायक दृष्टिकोण रखे जाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं जन प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिये जाने के सम्बन्ध में शासकीय आदेशों का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

6—अधीनस्थों के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण रखा जाना आवश्यक है कि उनका मूल्यांकन उनके कार्य पर ही किया जाय। जहां एक ओर अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाय वहीं गलत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय।

संक्षेप में स्वच्छ, कुशल एवं संवेदनशील प्रशासन के लिये हमें सभी स्तरों पर बड़े परिश्रम तथा लगन से कार्य किया जाना सुनिश्चित करना है। आशा है आप इस सम्बन्ध में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करके समुचित नेतृत्व प्रदान करेंगे। कृपया इस पत्र में व्यक्त की गयी भावनाओं से अपने अधीनस्थों को भी प्रत्येक स्तर पर तद्नुसार कार्यवाही हेतु अवगत करा दें।

भवदीय
ब्रजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव।

समस्त सचिव (नाम से)